UPGK010057892026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 2555/2026,

सुचिता पत्नी स्व0 लालू,
निवासिनी- जंगल डुमरी नं0- 1,
टोला- नारायण, थाना- गुलरिहा,
जनपद- गोरखपुर। आवेदिका/अभियुक्ता,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 111/2026,
धारा- 108 भारतीय न्याय संहिता,
थाना- गुलरिहा, जनपद- गोरखपुर।

01.07.2026

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदिका/अभियुक्ता सुचिता, जो अपराध संख्या- 111/2026, धारा- 108 भारतीय न्याय संहिता, थाना- गुलरिहा, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रथम सूचनाकत्री का छोटा लड़का सचिन दिनांक 11.02.2026 की रात से गायब है, उसी रात श्रीजना पुत्री लालू भी अपने घर से गायब हो गई थी। जिसके कारण लड़की के घर वाले व उसके रिश्तेदार प्रथम सूचनाकत्री के घर पर आकर पूरे परिवार को दौड़ा-दौड़ा कर मारने-पीटने लगे, जिसके डर से घर के सभी सदस्य घर छोड़कर इधर-उधर छिपकर रहने लगे और अपने लड़के सचिन को खोज रहे थे। दिनांक 12.02.2026 को करीब 8:00 बजे के बीच में प्रथम सूचनाकत्री के पति प्रथम सूचनाकत्री के बहू के पास फोन कर पूछ रहे थे कि सचिन का पता चला कि नहीं, तो इन लोगो ने बताया कि कि नहीं मिला, तो बोले कि ठीक है हम भी खोज रहे हैं लेकिन सुबह दिनांक 13.02.2026 को लगभग 6 से 7 बजे टहलने जाने वाले लोग देखे की चोरहिया नाला में किसी की बाडी पड़ी हुई है। धीरे-धीरे ये खबर प्रथम सूचनाकत्री तक पहुंची, किन्तु घर के लोग जब तक वहां पहुंचे तब तक पुलिस लाश को लेकर चली गयी थी। प्रथम सूचनाकत्री थाने पर पहुंची, तो पता चला लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम सूचनाकत्री के पति को मारने वालो में सुचिता पत्नी लालू, परशुराम पुत्र खदेरन परशुराम की पत्नी पाना, परशुराम के लड़के सुनील

व शैलेंद्र तथा परशुराम की तीनों बहुएं और परशुराम की लड़की रीता व दामाद भगवती पता दुर्गापुर एवं परशुराम की बहन गुड्डी व गुड्डी के दोनों पुत्र शंकर, अज्ञात और परशुराम की छोटी बहन झिनकी और परशुराम की एक और बहन सुभावती पत्नी जियावन एवं सुभावती के लड़के उमेश पता मारवाड़ी कोठी एवं रवि पुत्र गुलाब जो जंगल अयोध्या प्रसाद के रहने वाले हैं एवं अदया और अदया की पत्नी यह सभी लोग प्रथम सूचनाकत्री के परिवार को मारपीट रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उपरोक्त लोगों के द्वारा ही मेरे पति की हत्या की गई है।

विवेचना की गयी। विवेचना के क्रम में मृतक राजाराम की मृत्यु मृत्युपूर्व डुबने के कारण दम घुटने के कारण होना अन्त्य परीक्षण आख्या में चिकित्सक द्वारा उल्लिखित किया गया है तथा कोई बाहय उपहति नहीं पायी गयी है। विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा विवेचना कर आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा- 108 भारतीय न्याय संहिता में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका/अभियुक्ता सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उसे इस मामले में लिप्त किया गया है। मामले की प्राथमिकी अत्यधिक विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। प्राथमिकी पंजीकृत कराने में हुए विलम्ब का कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की तरफ से इस प्रक्रम पर नहीं दिया गया है। दिनांक 11.02.2026 को आवेदिका/अभियुक्ता की लड़की सरिजना को गॉव का ही सचिन बेलदार, जो मृतक राजाराम का पुत्र है, ने परिवार के ही सिन्धू, उर्मिला व अर्चना के सहयोग से बहला-फुसला कर भगा ले गया था, जिसके सम्बन्ध में आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा थाना- गुलरिहा पर अपराध संख्या- 114/2026, धारा- 87, 351 (3),352 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत कराकर अपने न्यायिक दायित्वो को पूरा किया था। मृतक राजाराम के लड़के सचिन द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता की पुत्री का अपहरण किया गया था, जिसमे अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा प्राथमिकी पंजीकृत करायी गयी, तथा मृतक को सामाजिक रूप से अपमानित किया गया। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा मृतक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित नहीं किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता का कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 07.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आवेदिका/अभियुक्ता व उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मृतक के पुत्र द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता की पुत्री को भगाने के कारण मृतक व उसके परिवार वालो के साथ मार-पीट व जान से मारने की धमकी दी जाती थी, जिससे क्षुब्ध होकर प्रथम सूचनाकर्ता के पति राजाराम ने आत्महत्या कर लिया। आवेदिका/अभियुक्ता ने मृतक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया। अतएव मामले की गम्भीरता एवम्

आवेदिका/अभियुक्ता की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता का कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले के विचारण की अवधि में आवेदिका/अभियुक्ता को पलायन किये जाने, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या साक्षीगण को डराये धमकाये जाने की कोई आशंका अभियोजन पक्ष द्वारा व्यक्त नहीं की गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता को दिनांक 07.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध होना बताया गया है।

अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, आवेदिका/अभियुक्ता को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आवेदिका/अभियुक्ता सुचिता का उपरोक्त जमानत प्रार्थना-पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। आवेदिका/अभियुक्ता उपरोक्त को प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन 50,000/-रूपये का स्वबन्धपत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवम् निम्न आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर छोड़ा जाए :-

1- आवेदिका/अभियुक्ता निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/ न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगी,

2- आवेदिका/अभियुक्ता वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगी,

3- आवेदिका/अभियुक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई प्रत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,

4- आवेदिका/अभियुक्ता विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगी,

5- आवेदिका/अभियुक्ता विचारण के दौरान न्यायालय की वॉछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदिका/अभियुक्ता की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

इस आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी आज ही ई-मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदिका/अभियुक्ता को प्रेषित की जाए।

दिनांक/गोरखपुर
01 जुलाई, 2025

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.01 17:20:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court